न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ(राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 34/2023
जीसीएमएस न0 2023/43

1. ललीत पिता गिरधारीलाल कुमावत निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चितौडगढ राज0

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता रामनारायण सिलावत निवासी बिनोत तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
2. कंकु पत्नी रामचन्द्र जी जाति सिलावट उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा हाल मुकाम हस्तीनापुर, कांकरोली तह0 एवं जिला राजसमन्द राज0 (नाम विलोपित)
3. कमली पुत्री रामनारायण पत्नि देवकि ानजी नगरीया जाति सिलावट उम्र वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा हाल मुकाम पेंच तलाई निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
4. कलाबाई पुत्री कन्हेयालाल जी पत्नी गोपाल जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा, हाल मु0 बाडी तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
5. गोदावरी पुत्री बद्रीलाल जी पत्नी सागरमल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा हाल मु0 बोहेडा तह0 बडीसादडी राज0 (नाम विलोपित)
6. चंदा बाई पुत्री कन्हैयालालजी पत्नि द ारथ जी जाति सिलावट निवासी बिनोता हाल मु0 कुमावतो का मोहल्ला, रेवली देवली जिला नीमच म0प्र0 (नाम विलोपित)
7. चांदी बाई पत्नी बद्रीलाल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
8. जसोदा पुत्री रामनारायण जी पत्नी भगवान जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी बिनोता हा0मु0 मानपुरा तह0 व जिला चितौडगढ राज0 (नाम विलोपित)
9. तुलसी पुत्री बद्रीलाल जी पत्नी गणे ाजी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हा0मु0 बाडी दरवाजा रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम विलोपित)
10. धापु पुत्री रामनारायण जी पत्नी रतनलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी बिनोता हा0मु0 अम्बामाताजी रोड निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम विलोपित)
11. नानी बाई पत्नी कन्हैयालाल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
12. पुष्पा उर्फ पप्पुडी पुत्री बद्रीलाल जी पत्नी गणेश जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हाल मु0 रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम विलोपित)
13. पार्वती बाई पुत्री कन्हेयालाल पत्नी दलीचन्दजी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हाल मु0 तलाई के पास, रेवली देवली जिला नीमच म0प्र0 (नाम विलोपित)
14. मंजु पुत्री बद्रीलाल जी पत्नी कोमल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हाल मु0 मन्दसौश्र जिला मन्दसौर म0प्र0 (नाम विलोपित)
15. श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी डिकेन जिला नीमच म0प्र0 (नाम विलोपित)
16. कुशव चन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी डिकेन जिला नीमच म0प्र0 (नाम विलोपित)
17. सन्नु पुत्री पुत्र कन्हैयालाल जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी डिकेन जिला नीमच म0प्र0 (नाम विलोपित)
18. रुकमण पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी सत्यनारायण जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हाल मु0 जुना बाजार पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, चित्तौडगढ राज0 (नाम विलोपित)
19. रेखा पुत्री बद्रीलाल जी पत्नी मदनलाल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

हा0मु0 पंचायत खेत वाली गली नरसिंहपुरा तह0 मन्दसौर जिला मन्दसौर म0प्र0 (नाम विलोपित)

20. राधेश्याम पुत्र किशना उर्फ हरिकिशन जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी खाकल देव मंदिर के पास, बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0
21. राधा पुत्री रामचन्द्र जी पत्नी जगदीश जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हा0मु0 जैन पंचायती नोहरे के पास, रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
22. जमनालाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी खाकल देव मंदिर वाली गली बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0
23. प्रहलाद पिता लक्ष्मीनारायण जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी खाकल देव मंदिर वाली गली बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0
24. हुलाशी बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी पुष्कर जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हा0मु0 माताजी के मंदिर वाली गली नरसिंह पुरा, तह0 मन्दसौर म0प्र0
25. कविता बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी प्रकाशजी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हा0 मु0 लसडावन चौराहा ढोरिया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
26. शंकु उर्फ भांकुडी पुत्री रामनारायण जी पत्नी चांदमल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, बिनोता तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम विलोपित)
27. श्यामुबाई पुत्री कन्हैयालाल जी पत्नी कैलाश जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हाल मु0 जैन पंचायती नोहरे के पास, रानीखेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम विलोपित)
28. शांति पुत्री रामनारायण जी पत्नी गणपत लाल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी बिनोता हाल मु0 रेल्वे स्टेशन के पास, मांगरोल तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
29. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी खाकलदेवजी मंदिर के पास, बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
30. हरिवल्लभ पुत्र रामनारायण जी जाति सिलावट आयु वयस्क निवासी खाकलदेवजी मंदिर के पास, बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0 (नाम विलोपित)
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
32. वर्धमान जैन पुत्र पारसमल जैन आयु वयस्क निवासी बिनौता बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0
33. श्रीमति सुमनलता पत्नि वर्धमान जैन आयु वयस्क निवासी बिनौता, बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0
34. नन्दुबाई पत्नि स्व लक्ष्मीनारायण आयु वयस्क निवासी बिनौता, बिनोता तह0 निम्बाहेडा राज0

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री विशाल कुमावत – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री सआदत अली – अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 08/10/2024

1. प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा बिनौता प0ह0 बिनौता तह0 निम्बाहेडा में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी 1191 रकबा 0.1100 हेक्टेयर एवं आराजी नं0 728 रकबा 0.1900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3000 हेक्टेयर कुल लगान 4 रुपये 16 पैसे स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:34 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात प्रार्थी की क्रय शुदा आराजीयात होकर मुल खातेदार अपने बाप दादाओं के समय से आने जाने, हल बैलगाडी, कृशि उपकरण आदि लाने ले जाने के लिए मुख्य रास्ता बिनोता गांव के आम रास्ता आराजी नं0 728 से होकर, विपक्षीगण की आराजी नं0 725 की उत्तरी मेड पर से होकर प्रार्थी की

आराजी नं0 726 व आराजी नं0 1191 में आता जाता है प्रार्थी उक्त रास्ते से कदीम से मूल खातेदारी आ जा रहे थे और वक्त खरीद से प्रार्थी इसी रास्ते से शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के आ जा रहा है उक्त रास्ते के अलावा मौके पर प्रार्थी की आराजीयात पर पहूंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रस्ता मौजुद नही है उपरोक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शो में लाल रंग से दर्शाया गया है।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त कदीमी एक मात्र रास्ते से आने–जाने, हल बैलगाडी, कृशि उपकरण आदि लाने ले जाने एवं कृषि आराजीयात मे कृशि कार्य करने में विपक्षीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया एवं उक्त रास्ते को हांक जोत कर बन्द करने का प्रयास किया इसलिए प्रार्थी को उक्त रासता विपक्षी की आराजी नं0 725 की उत्तरी मेड पर से डी0एल0सी0 दर अनुसार 20 फीट चौडाई मे रासता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचिवत हैं।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी नं0 1 से 19, 21, 26 से 30 का (नाम विलोपित) गया। विपक्षीगण नं0 1,22,23,29,30,32 व 33 की ओर से अधिवक्ता श्री सआदत अली ने वकालत नामा पेश किया, तथा अपने जवाब मे अंकन किया कि प्रार्थी की आराजी नं0 726 व 1191 पर जाने आने का रास्ता आराजी नं0 725 की उत्तरी मेड से ऐसा कोई रास्ता नही हैं। अयरि यदि प्रार्थी के अनुसार कोई रास्ता है और विपक्षीगण ने उसमे बाधा उत्पन्न कर दी है तो उसके बाबत धारा 251ए राजस्थान का तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही नही हो सकती हैं। यदि कोई रासता है और उसे अवरोधित किया जा रहा है तो उकसे लिए स्थाई निशेधाज्ञा का वाद सिविल कोर्ट मे चलता है यह कार्यवाही चलने योग्रू नही हैं। यदि कोई रास्ताहै और उसे रोका गया है तो तहसील या पंचायत मे कार्यवाही होती है एवं सुखाधिकार का मामला है तो सिविल कोर्ट ही सुन सकती है ऐसी स्थित मे कार्यवाही नियम विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

5. विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने अनुषंशा मय रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मौजा बिनौता प0ह0 बिनौता तह0 निम्बाहेडा में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे का त की आराजी 1191 रकबा 0.1100 हेक्टेयर एवं आराजी नं0 726 रकबा 0.1900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3000 हेक्टेयर खातेदारी की भूमि के रास्ता हेतु रेकार्ड व मौका निरिक्षण भू–अभिलेख निरिक्षक वृत बिनोता एवं पटवार मंडल बिनोता के पटवारी द्वारा किया गया। मौका पर आराजी नं0 726 तक आने जाने का रास्ता मौक पर मौजुद नही हैं और ना ही कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हैं आराजी नं0 725 की उत्तरी मेड से 5 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित हैं। आराजी नं0 725 मे से नक्शे अनुसार दिये जाने वाले रास्ते का कुल रकबा 5x13=65 वर्गमीटर=0.6500 हेक्टेयर रास्ता हेतु दर्ज किया जाना उचित हैं। मौके पर उपस्थित पक्षकार प्रार्थी के पिता गिरधारीलाल पुत्र बंशीलाल कुमावत, अप्रार्थी जमनालाल पुत्र लक्ष्मीलाल कुमावत , अप्रार्थी का पुत्र मनोज पुत्र राधे याम कुमावत उपस्थित रहे, भू–अभिलेख निरिक्षक वृत बिनोता एवं पटवार मंडल बिनोता के पटवारी की प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 728 से 726 पर जाने हेतु रास्ता दिया जाना है, आराजी नं0 727 रेकार्ड अनुसार औद्योगिक रुपांतरित भूमि हैं, अतः आराजी नं0 725 मे से रास्ता दिया जाने हेतु उपर्युक्त पाई गई आराजी नं0 725 कुल रकबा 0.0800 हेक्टेयर रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0065(65वर्गमीटर) होकर प्रार्थी क आवेदन मे चाहा गया वही हैं।

6. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी [illegible] की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन [illegible] की गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार [illegible] आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की [illegible] रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:34 IST
Reason: SelfAttested

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

8. दोनो पक्षो के अभिवचनों के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पेश दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधारो पर एवं दस्तावेज के आध्णार पर संक्षिप्त सार यसह है कि वाके मौजा बिनौता प0ह0 बिनौता तह0 निम्बाहेडा में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी 1191 रकबा 0.1100 हेक्टेयर एवं आराजी नं0 726 रकबा 0.1900 हेक्टेयर पर पहूंचने के लिए आराजी नं0 725 की उततरी मेड पर होकर आराजी नं0 726 तक पहूंचनेके हेतु राजस्व नक्शा ट्रेस मे तरमीम करते हुवे आराजी नं0 725 मे से नक्शे अनुसार दिये जाने वाले रास्ते का कुल रकबा 5x13=65 वर्गमीटर=0.6500 हेक्टेयर रास्ता हेतु दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

9. पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 पर जाने हेतु आराजी नं. 1349 रकबा 0.24 हैक्टेयर बीच में पडता है तथा आराजी नं. 1356 एवं 1358 प्रार्थीगणों का आराजी है, जो आराजी नं. 1339 किस्म रास्ते से लगा हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर मौजा कनेरा पर आने–जाने हेतु सबसे उपयुक्त एवं सबसे निकटतम रास्ता है। अन्य कोई विकल्प नहीं होकर, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में पडत पडी हुई है। प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर पर आने–जाने हेतु आराजी नं. 1349 की उत्तरी मेड प्रस्तावित भूमि रास्ते के उपयोग में दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा क्रमांक/भू.अ./पीडी–251–ए/2024/243 दिनांक 01/08/2024 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन तथा प्रार्थी हेत रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 01/08/2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में आराजी हाल खसरा संख्या 1191 व 726 में पहुचने हेतु आराजी नम्बर 725 की उत्तरी मेड पर से होकर आराजी नम्बर 726 तक पहुचने हेतु 65 वर्गमीटर चौडाई का रास्ता जो की प्रस्तावित नक्शे अनुसार लाल स्याही के पेन से डाटेड मारक आवेदित चौडाई के रास्ते में आयी भूमि के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार तथा प्रार्थी से डी.एल.सी दर की दुगुनी क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी जावें अथवा उक्त नवीन रास्ते को खाता सख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु [illegible] मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहे[illegible] उ[illegible] निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को भिजवायी जावें पत्रावली [illegible] होकर नम्बर कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया [illegible] कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:34 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा